उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या : 2827 –पीएसएएस–प्रथम / यू0पीपीसीएल / 2011 दिनांक 18–11–2011

प्रबन्ध निदेशक
मध्यांचल / पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / केस्को
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / कानपुर।

महोदय,

कारपोरेशन के परिपत्र संख्या–2809–पीएसएएस–प्रथम / यू0पीपीसीएल / 2011 दिनांक 16–11–2011 की पहली पंक्ति में त्रुटिवश **जनसूचना** गारण्टी विनियम–2011 अंकित हुआ है । आपसे अनुरोध है कि इसके स्थान पर **जनसेवा** गारण्टी विनियम–2011 पढ़ा जाये ।

(रमा कान्त पाण्डेय)
कार्यकारी अपर सचिव–प्रथम

संख्या : 2827 (1)–पीएसएएस–प्रथम / यू0पीपीसीएल / 2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विशेष सहायक, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. सहायक अभियन्ता (मु0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 , शक्ति भवन, लखनऊ।

(रमा कान्त पाण्डेय)
कार्यकारी अपर सचिव–प्रथम

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या :2809–पीएसएएस–प्रथम / यू0पीपीसीएल / 2011 दिनांक 16–11–2011

प्रबन्ध निदेशक
मध्यांचल / पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल / केस्को
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / कानपुर।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा जनसूचना गारण्टी विनियम–2011 कार्यालय ज्ञाप सं0–134–विनियम एवं औ0सं0 / पाकालि / 11–5–विनियम / 2011 दिनांक 04–11–2011 द्वारा प्रख्यापित की जा चुकी है। उक्त विनियमावली कारपोरेशन के वेबसाइट पर तत्काल उपलब्ध करा दी गयी थी एवं दिनांक 11–11–2011 की समीक्षा बैठक में इसकी प्रति आपके साथ–साथ मुख्य अभियन्तागण को भी व्यक्तिगत रूप से हस्तगत करायी गयी थी। विनियमावली के अनुपालन हेतु आप अपने स्तर से वांछित कार्यवाही शुरू कर चुके होंगे एवं तद्नुसार विनियमावली में इंगित प्रारूपों के अनुसार नोटिस बोर्ड एवं पंजिकाओं में विवरण अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा होगा परन्तु मुख्यालय स्तर पर सम्बन्धित कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध न होने के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश प्राप्त हुआ है कि सम्बन्धित विनियमावली के अनुपालन के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण हेतु संलग्न बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

ध्यातव्य है कि संलग्नानुसार बिन्दु संख्या–01 एवं 02 पर तत्काल सूचना अपेक्षित है एवं बिन्दु संख्या–03 पर आख्या मासिक रूप में उपलब्ध कराया जाना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे सम्बन्धित कियाकलापों से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय अवगत हो सकें।

संलग्नक : यथोपरोक्त।

(रमा कान्त पाण्डेय)
कार्यकारी अपर सचिव–प्रथम

संख्या :2809(1)–पीएसएएस–प्रथम / यू0पीपीसीएल / 2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव (ऊर्जा) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के विशेष सहायक, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त सचिव (कार्य) को विनियमावली की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित की मुख्यालय पर अनुश्रवण हेतु कार्यवाही उनके अनुभाग स्तर पर सम्पादित की जायेगी।
6. सहायक अभियन्ता (मु0) को इस आशय से प्रेषित कि विनियमावली की प्रति शक्ति भवन के सूचना पट पर भी चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरोक्त।

16/11/11

(रमा कान्त पाण्डेय)
कार्यकारी अपर सचिव–प्रथम

जनसेवा गारण्टी विनियम 2011

अनुश्रवण के बिन्दु

1. अनुश्रवण हेतु मण्डल स्तर एवं ऊपर के कार्यालयों में नोडल अधिकारी का नामांकन एवं उनकी सूची प्रेषित करना– एक सप्ताह
2. नोटिस बोर्ड सभी पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालय पर स्थापित करने के पश्चात् अनुपालन आख्या– एक सप्ताह
3. जनसेवा गारण्टी विनियम–2011 के अनुपालन सम्बन्धित मासिक सूचना का प्रारूप

..................विद्युत वितरण निगम,.. आख्या माह......................

क0 सं0	कार्य विवरण	पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय सम्बन्धित स्थिति					
		पूर्व माह के लम्बित आवेदन (संख्या)	माह में प्राप्त आवेदन (संख्या)	माह में निस्तारित आवेदन (संख्या)	माह के अन्त में शेष आवेदन (संख्या)	विलम्बित प्रकरण की संख्या	विलम्ब हेतु दण्ड निर्धारण की राशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नये कनेक्शन हेतु मांग पत्र प्रेषित						
2.	लाइन/उपकेन्द्र में विस्तार/वृद्धि सम्बन्धित प्राक्लन स्वीकृति						
3.	क0–2 के अनुसार जमा धनराशि के विरूद्ध नये कनेक्शन ऊर्जीकृत						
4.	लाइन/उपकेन्द्र में विस्तार/वृद्धि में कृत कार्यवाही						
5.	अस्थाई कनेक्शन ऊर्जीकरण						
6.	भार वृद्धि के प्रकरण						
7.	मीटर बदले जाने के प्रकरण						

कमश :................2/–

प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय सम्बन्धित स्थिति					द्वितीय अपीलीय अधिकारी के कार्यालय सम्बन्धित स्थिति					विभागीय
पूर्व माह में लम्बित अपील (संख्या)	माह में प्राप्त अपील (संख्या)	माह में निस्तारित अपील (संख्या)	माह के अन्त में लम्बित अपील (संख्या)	सेवा में विलम्ब हेतु निर्धारित दण्ड की राशि (रू0 लाख में)	पूर्व माह में लम्बित अपील (संख्या)	माह में प्राप्त निस्तारित अपील (संख्या)	माह में निस्तारित अपील (संख्या)	माह के अन्त में लम्बित अपील (संख्या)	सेवा में विलम्ब हेतु निर्धारित दण्ड की राशि (रू0 लाख में।)	अनुशासनात्म कार्यवाही हे संस्तुत प्रकर (संख्या)
9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.

पुनरीक्षण अधिकारी के द्वारा अनुपालन स्थिति					अन्य विवरण यदि कोई हो।
पूर्व माह के लम्बित प्रकरण (संख्या)	माह में प्राप्त प्रकरण (संख्या)	माह में निस्तारित प्रकरण (संख्या)	माह के अन्त में लम्बित प्रकरण (संख्या)	शास्ति की धनराशि (रू0 लाख में)	
20.	21.	22.	23.	24.	25.